51/2005 दी ... 03/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/17	अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 18/10/17 को पेश हो।	
18/10/17	अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित [illegible] पालना होकर मिसल दिनांक 08/11/17 को पेश हो।	
08/11/17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट-2 ने दस्तावेजों की सूची के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 6933/2017 मे दिये गये आदेश दिनांक 23/10/2017 की फोटोप्रति प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन यह अपील राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 की पालना मे इस न्यायालय मे पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ली गई। परन्तु अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 6933/2017 के पारित आदेश दिनांक 23/10/2017 के जरिये माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 को ही निरस्त कर दिया गया है। अतः अब यह अपील इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही है। अतः यह अपील खारिज करमाई जावे। हमने उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/10/2017 एवं माननीय राजस्व	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

डी फोरे-2 धनु / रामू

तारीख हुक्म	03/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 एवं इस न्यायालय की पत्रावलीयो की आदेशिकाओ का अवलोकन किया। चूंकी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन यह अपील पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 की पालना मे ही दिनांक 31/1/2017 को पुन: सुनवाई हेतु नियत की गई है एवं चूंकी अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/10/2017 के जरिये माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 को ही निरस्त कर दिया गया है। अत: माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 13/1/2017 की पालना मे पुन: सुनवाई हेतु नियत की गई यह अपील पत्रावली अब संधारण योग्य नही रह गई है। अत: अपील अपीलार्थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23/10/2017 के अध्यधीन संधारण योग्य नही रहने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	